

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम०ई०/पंचेज/2018/788, दिनांक 01-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि ₹० 10,00,00,000/- (₹० दस करोड़ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उक्त योजना का प्रस्ताव/आगणन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों तथा उसमें होने वाले व्यय का आंकलन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-497/दस-2018, दिनांक 23 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 19/2018/396(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
- 4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर।
- 5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(अनिल कुमार)
उप सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।